

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

संकल्प

विषय : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत राज्य के वैसे व्यक्तियों को जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक ₹० 8.00 (आठ लाख) से कम हो, उन्हे असाध्य रोगों यथा-सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक से प्रभावितों को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में

1. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 184 (13) स्वा० राँची दिनांक- 17.07.2015 के आलोक में झारखण्ड राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले एवं ₹० 72,000 (बहतर हजार) से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को विभाग द्वारा सूचीबद्ध रोगों के उपचार हेतु चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती थी। झारखण्ड राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने के पश्चात विभागीय प्रांक-369/स्वा० दिनांक-19.03.2019 द्वारा इस योजना अंतर्गत सूचीबद्ध 1408 बीमारियों को छोड़कर शेष असाध्य रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान की जाती रही है।
2. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को कारण बनाने हेतु इस योजनान्तर्गत असाध्य रोगों, यथा-सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग से पीड़ित वैसे व्यक्तियों को, जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक ₹० 8.00 लाख से कम है तथा एसिड अटैक के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान की जायेगी।
3. एसिड अटैक के मामलों में आय की बाध्यता नहीं होगी।
4. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण तथा गंभीर लीवर रोगों के लिए प्रत्येक मामले में अधिकतम ₹० 5.00 लाख का चिकित्सा अनुदान प्रदान किया जायेगा।
5. यह सुविधा झारखण्ड राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं अन्य राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों तथा सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों में ही मान्य होगा (सूची संलग्न है- अनुलग्नक-1)। अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. उपरोक्त बीमारियों के अतिरिक्त W.P(Crl) No-129 of 2016 लक्ष्मी बनाम संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम व्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय अधिसूचना सं० 397 (13) दिनांक-30.10.2019 के आलोक में एसिड अटैक से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज पर होने वाले संपूर्ण व्यय (जिसमें शयया, दवा, भोजन, शल्यक्रिया एवं Reconstructive Surgeries इत्यादि पर व्यय शामिल होगा) की प्रतिपूर्ति इस योजना में निहित राशि से संबंधित सिविल सर्जन द्वारा की जाएगी। यह सुविधा सभी सरकारी/निजी अस्पतालों के लिए ही मान्य होगी।
7. सकल वार्षिक आय की अधिसीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले परिपत्रों के अनुरूप होंगी।
8. रोगों की चिकित्सा हेतु सहायता राशि दर संबंधित अस्पताल के शहर के लिए अधिकतम CGHS के द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप होगी अथवा अधिकतम 5 लाख तक सीमित रहेगी। अस्पताल के द्वारा प्रावक्तव्य भेजते समय उस शहर के CGHS दर की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लीवर रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज में सिविल सर्जन द्वारा 5.00 लाख तक की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

39(13)
14/08/2020

असिड

10. योजना अंतर्गत सिविल सर्जन के अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति गठित होगी:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. उपायुक्त द्वारा नामित एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 3. स्थानीय मानवीय विधायक/विधायक प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 4. जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल | - | सदस्य |
| 6. सदर अस्पताल की वरीयतम् महिला चिकित्सा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 7. संबंधित बीमारी के विषेशज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी | - | सदस्य |

11. समिति का कोरम दो तिहाई (2/3) होगा तथा समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को आहूत की जायेगी। सोमवार को अवकाश रहने पर अगले कार्यदिवस पर बैठक की जायेगी। समिति प्राप्त अभ्यागेनों की नियमानुसार जाँच/समीक्षा कर बैठक के दिन ही मरीजों को उपचार हेतु पत्र हस्तगत करायेंगे। उसी दिन संबंधित अस्पतालों को भी Fax अथवा E-Mail द्वारा स्वीकृति की सूचना देंगे।

12. सभी सिविल सर्जन स्वीकृति देते समय स्वीकृत्यादेश में यह अंकित करेंगे कि स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर मरीज अपना ईलाज संबंधित अस्पताल में कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उसकी वैद्यता समाप्त हो जायेगी। विशेष परिस्थिति में ही पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए इसमें छूट दी जायेगी।

13. किसी विशिष्ट मामले में यदि निर्धारित सीमा से अधिक राशि देने की आवश्यकता होगी, तो ऐसे मामलों में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14. राज्य स्तर पर “मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना” के संचालन अनुश्रवण, नियंत्रण परिवेष्करण, निगरानी एवं निरीक्षण आदि के लिए एक राज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता प्रबन्धन समिति का गठन किया जाता है। समिति की संरचना निम्नवत् होगी :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. मंत्री, स्वास्थ्य एवं पॉको विभाग | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग | - | सदस्य |
| 3. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| 4. प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग | - | सदस्य |
| 5. निदेशक, रिम्स, राँची | - | सदस्य |
| 6. प्रभारी अपर/संचयक्त/उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग | - | सदस्य सचिव |

प्रबन्ध समिति के कार्यकलापों के संदर्भ में स्थापना एवं आकस्मिकता मद में व्यय की वर्तमान व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

15. “मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना” के तहत विभाग द्वारा सभी जिलों के सिविल सर्जन को राशि आवंटित की जायेगी। संबंधित सिविल सर्जन राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो आवश्यकतानुसार राशि की अग्रिम निकासी कर जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति के खाते में रखेंगे तथा राशि का समुचित उपयोग कर इसका DC गिपत्र समस्य महालेखाकार, झारखण्ड को भेजेंगे।

इस राशि का लेखा अलग रोकइबही (Cash Book) में संधारित किया जायगा।

16. योजना के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु लाभुकों को उपर्युक्त जिला स्तरीय समिति के समक्ष निम्न प्रपत्र में आवेदन करना होगा:-

39(13)
प्र०श्वा०२०२०

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता हेतु
आवेदन का प्रपत्र (एसिड अटैक मामलो को छोड़कर)

1. रोगी का नाम	:-	रोगी का अद्यतन फोटो
2. रोगी के पिता/पति का नाम	:-	
3. स्थाई पता (मो० नम्बर के साथ)	:-	
4. रोग का नाम	:-	
5. श्रेणी	:-	

परिवार	सकल वार्षिक आय (अधिकतम 8 लाख)

6. अस्पताल का नाम (जहाँ इलाज कराना है) :-
7. इलाज के लिए अस्पताल द्वारा प्राक्कलित राशि :-

गंछित कागजात : 1 दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
2 आय प्रमाण-पत्र।
3 अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन।

आवेदक अथवा अभिभावक का हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान

17. जिला स्तरीय समिति, चिकित्सा सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों के साथ संलग्न कागजातों की जाँच/समीक्षा करेगी। प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ लक्षित समूह को ही प्राप्त हो।
18. इस योजना के तहत उपर्युक्त वर्णित रोगों के लिए लाभुकों को अनुदान की स्वीकृति, जो तत्काल जीवन रक्षा से संबंधित हो, विशेष परिस्थिति में सिविल सर्जन द्वारा दी जा सकेगी, किन्तु उसकी घटनोत्तर स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जायेगी।
19. चिकित्सा सहायता की राशि संबंधित अस्पताल/संस्थान को बैंक ड्राफ्ट अथवा उनके खाते में इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर के माध्यम से दी जायेगी। स्वीकृति सहायता राशि की व्यय विवरण/प्राप्ति रसीद तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व इसकी विधिवत जाँच करा कर अग्रिम राशि का समायोजन किया जायेगा तथा उसका विस्तृत वर्गीकृत ब्लौरा सरकार को एवं शाज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
20. चिकित्सा सहायता हेतु लाभुक को अपने जिला में ही आवेदन देना होगा।
21. यदि किसी भी स्थिति में यह पाया गया कि प्रमाण पत्र/छद्मनाम या गलत उद्देश्य से अनुदान की राशि की स्वीकृति या भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम (PDR, Act) के अधीन संबंधित व्यक्ति से समूल राशि वसूलनीय होगा एवं आपराधिक मामला भी दर्ज किया जायेगा।
22. आय से सम्बन्धित कागजात अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

23. योजना के अधीन लाभुकों का इलाज अधिकाधिक रूप से सरकारी अस्पतालों में हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
24. इस योजना के तहत अस्पतालों को अग्रिम भूमितान करना पड़ता है, अतः यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उतनी ही राशि की अग्रिम निकासी की जाय जितनी आवश्यक है।
25. व्यय का विकलन निम्नांकित शीर्ष से होगा :-

मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -लघु शीर्ष-001 -निवेशन और प्रशासन -उपशीर्ष-49
-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोरिटिक एवं ऐडियोलॉजी जाँच योजना एवं
मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सर्वाईकल कैन्सर रक्कीनिंग योजना 06-अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य
(789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अनु०-यथोक्त।

14/02/2020
(डॉ नितीन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 13/नीति (चि०प्रति०)-10-02/2015 ~ 39(13) स्वा०/दिनांक:- 14/02/2020
प्रतिलिपि-विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य,
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची प्रेषित।

14/02/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 13/नीति (चि०प्रति०)-10-02/2015 39(13) स्वा०/दिनांक:- 14/02/2020
प्रतिलिपि-राजकीय मुद्रणालय, डोण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है
कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

14/02/2020
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 13/नीति (चि०प्रति०)-10-02/2015 39(13) स्वा०/दिनांक:- 14/02/2020
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

14/02/2020
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 13/नीति (चि०प्रति०)-10-02/2015 39(13) स्वा०/दिनांक:- 14/02/2020
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय
विभागीय मंत्री के आप सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, स्वा० विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी
अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी
उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

14/02/2020
सरकार के प्रधान सचिव।

39(13)
14/02/2020

प्रतिलिपि:- अभियान निदेशक, एन०एच०एम०, झारखण्ड, राँची/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड, राँची/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड/ निदेशक, रिम्स, राँची/निदेशक, रिनपास, काँके, राँची/ग्राचार्य/अधीक्षक, एम०जी०एम०च०महा० एवं अस्पताल, जमशेदपुर/पी०एम०सी०एच०, धनबाद/इटकी आरोग्यशाला, इटकी, राँची/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W.Kumar
14/01/2020
सरकार के प्रधान सचिव।

39(13)
14/01/2020

अनुलेखनक-१

1. वेदान्ता मेडीसिटी, गुडगाँव, हरियाणा।
2. डाईसन हॉस्पीटल, कोलकता।
3. अपोलो ग्लेनीग्लस हॉस्पीटल, कोलकता।
4. मेडिका सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल, कोलकता।
5. क्यूरी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीचूटी, ईरखा, राँची।
6. मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, जमशेदपुर।
7. इंदिरा गांधी ईरटीचूटी आफ मेडिकल सार्विस, शेखपुरा, पटना।
8. झारखण्ड राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/एवं अन्य राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।
9. भारत सरकार के सभी केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान।
10. टाटा स्मारक अस्पताल, मुंबई।
11. संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
12. महावीर कैंसर इंस्टीचूटी, फुलवारी शरीफ, पटना।
13. अपोलो भुनेश्वर एवं अपोलो हैदराबाद।
14. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
15. क्रिश्चिन मेडिकल कॉलेज, भैल्लोर।
16. पी०जी०आई०, चण्डीगढ़।
17. भगवान महावीर मेडिका सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, बुठी मोड़, राँची।
18. लंबी जेनरल हॉस्पीटल लिमिटेड, कोलकता।
19. पारस हमरी हॉस्पीटल, पटना।
20. असर्फ हॉस्पीटल लिमिटेड, धनबाद।
21. आर०जे०एस०पी० कैंसर हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कटहल मोड़, राँची।
22. राज हॉस्पीटल, मेन रोड, राँची।
23. १११ सेव लाईफ हॉस्पीटल, मेन रोड, आदित्यपुर-२, जमशेदपुर।
24. Basovatarakam Indo American Cancer Hospital Research Institute, Hyderabad.
25. Artemis Hospital, Gurgaon, Haryana.
26. Pushpawati Singhania Hospital & Research Institute, New Delhi.
27. Gleneagles Global Health City Hospital, Chennai.
28. Indian Spiral Injuries Center, New Delhi.
29. पियरलेस हॉस्पीटेक्स हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, कोलकता।
30. सी०एम०आर०आई०द० कलकता मेडिकल रिसर्च इन्स्टीचूट, कोलकता।
31. सरोज गुप्ता कैंसर सेन्टर एण्ड रिसर्च इन्स्टीचूट गाकुरपूर्कूर, कोलकता।
32. मिशन ऑफ मर्सी हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोलकता।
33. नारायण सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल, हावड़ा, कोलकता।
34. नारायण रवीन्द्रनाथ टेगोर, इन्वरनेशनल इन्टीचूट ऑफ कार्डिक सार्विस, कोलकता।
35. B.P.Poddar Hospital & Medical Research Limited, Kolkata.
36. Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad.
37. टाटा मेन हॉस्पीटल (TMH), बिष्टपुर, जमशेदपुर।
38. मॉ ललिता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, देवघर।
39. मिशन हास्पीटल, दुर्गापुर।
40. फोर्टिस हास्पीटल, कोलकता।

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है, साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति भी दी गई है।

मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना का संकल्प जारी अब जस्तूरतमंद करा सकेंगे पांच लाख रुपये तक का इलाज

प्रमुख संवाददाता ▶ रांची

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का संकल्प स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, संकल्प जारी होने के साथ ही अब लोग इस योजना से इलाज करा सकेंगे। जारी संकल्प के अनुसार वैसे व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलेगा, जिनकी आय लगातार तीन वर्षों से आठ लाख रुपये से कम हो। ऐसे लोगों को कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, लीवर रोग व एसिड अटैक के मामले में पांच लाख रुपये तक का इलाज नामित अस्पतालों में कराने की

○ आठ लाख रुपये से कम आय वालों को सुविधा

सुविधा उपलब्ध है, एसिड अटैक के मामले में राशि की सीमा नहीं रखी गयी है, यह सुविधा झारखण्ड राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, केंद्रीय चिकित्सा संस्थान तथा सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों में ही मान्य होगा।

आवेदन का चयन कमेटी करेगी : संकल्प के अनुसार जिला के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जिसके पास आवेदन देना होगा। यह कमेटी ही चयन करेगी, कमेटी में

उपयुक्त द्वारा नामित पदाधिकारी, स्थानीय विधायक, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, सदर अस्पताल की वरीय महिला चिकित्सक व संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ सदस्य होंगे, समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को होगी। कमेटी द्वारा स्वीकृति की तिथि से एक माह के अंदर ही मरीज को इलाज कराना होगा। वहीं राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, कमेटी में स्वास्थ्य, वित्त, कल्याण विभाग के सचिव, निदेशक रिम्स व विभाग के अपर, संयुक्त या उपसचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। गंभीर बीमारी उपचार योजनाओं की सूची में नयी-नयी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है ताकि इसका अधिकतम लाभ जनता को मिल सके। इलाज के लिए चयनित लब्ध प्रतिष्ठित अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके तहत् गुरुदृष्टि प्रत्यारोपण के लिए अधिकतम 5 लाख रुपया एवं कैन्सर के लिए अधिकतम 4 लाख रुपया तक स्वीकृत किया जा रहा है। साथ ही राज्य औषधि नीति, 2015 का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी आउटडोर एवं इनडोर मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करायी जानी है। राज्य भर में पाँच बीमारियों से शिशु को बचाने के लिए पेंटावैलेंट टीका दिया जाना प्रारम्भ किया गया है। यह टीका बच्चों को डिपथीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाईटिस-बी एवं हिब से बचाएगा।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 08 लाख रुपये वार्षिक आय तक के सभी परिवारों को देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैसर, किडनी एवं गंभीर लीवर रोग के इलाज की सुविधा मुहैय्या करायी जायेगी एवं इलाज पर होने वाले पूरे खर्च का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।

★ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत राज्य के ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक रूपए 8 लाख से कम हो, उन्हें असाध्य रोगों यथा- सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक से प्रभावितों को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति दी गई। एसिड अटैक के मामलों में आय की बाध्यता नहीं होगी। आय का प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण, तथा गंभीर लीवर रोगों के लिए प्रत्येक मामले में 5 लाख तक की चिकित्सा अनुदान सिविल सर्जन द्वारा ही स्वीकृत की जाएगी।